बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 5 सत्र- 190वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
शुक्रवार, दिनांक 30.11.2018 ई.

माननीय कार्यकारी सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

11.00 मध्याह्न से 3.00 अपराह्न तक

1. आसन को सूचना

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा ने मुजफ्फरपुर अस्पताल में एक महिला के साथ कुछ सुरक्षाकर्मियों द्वारा बलात्कार किये जाने की सूचना दी।

इसके बाद उन्होंने मधुबनी में श्री अंसारी की पीट-पीटकर हत्या किये जाने की चर्चा करना चाहा, जिसका सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार और डा. रणवीर नन्दन ने विरोध किया। इस मामले को लेकर माननीया नेता, विरोधी दल, श्रीमती राबड़ी देवी एवं माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे बोलने लगे। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे। राजद के माननीय सदस्यों के हाथों में पोस्टर था।

2. आसन का माननीय सदस्यों से अनुरोध

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा कि आज इस सत्र की समाप्ति का अंतिम दिन है। मुझे बहुत अफसोस है कि

ये आज अंतिम दिन है, चार दिन हमारा चला गया। जनहित के जितने मामले आपलोगों ने उठाये, उसपर सदन में सरकार की ओर से जवाब भी नहीं हो सका और न कोई बातें हुईं। इसलिए आज आसन की तरफ से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि नियमानुसार शांतिपूर्वक ढंग से सदन को चलने में सहयोग करें। आप सभी विद्वज्जन हैं और यह उच्च सदन है, सारे लोग देखते हैं। आज नहीं तो कल जनता इस बात पर सोचने पर मजबूर होगी कि पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर जो प्रजातंत्र द्वारा हमको वोट देने का अधिकार दिया और उस वोट से जनप्रतिनिधि को चुनकर हम सदन में भेजते हैं, अपनी समस्याओं के हल के लिए भेजते हैं न कि सदन के कार्य को बाधित करने के लिए। आज न कल यह बात जमीन पर जायेगी, गांव में जायेगी, समाज में जायेगी। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, अपर हाउस के मेम्बर हैं, हमसे ज्यादा काबिल लोग यहां बैठे हैं । मेरा आग्रह है कि अब प्रश्नकाल शुरू होता है, उसको चलने दीजिए।

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने TISS (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेंस) के द्वारा प्रतिवेदित मामलों पर कार्रवाई तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया । आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति की आधार संख्या 104 (3) के अंतर्गत इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे।

4. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 29 उत्तरित हुआ।

इस अवसर पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार सहित राजद के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में पोस्टर दिखाते हुए चले आए तथा नारेबाजी करने लगे जबकि माननीया नेता, विरोधी दल, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रही एवं माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे हाथ में पोस्टर हाथ में लेकर अपनी बात कहते रहे एवं माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद अपने स्थान पर खड़े रहे। कांग्रेस के माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर खड़े थे।

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने आसन से नियमन देने की कृपा की कि सदन की कार्यवाही आरंभ हो चुकी है, प्रश्नकाल शुरू हो चुका है, इसलिए आपकी कोई बात कार्यवाही में नहीं आएगी, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल न करें। आप नेता हैं और दूसरे दिन और तीसरे दिन भी इस विषय पर आप कार्यस्थगन लाये हैं और नियम 104 (3) को देख लीजिए, उसके तहत इसे अस्वीकृत किया गया है।

सदन में यथावत् नारेबाजी जारी रही। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, कृपया माननीय मंत्री, सदन पटल पर रख दें।

5. सदन पटल पर रखे गये प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 30 से 40 सदन पटल पर रखे गए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 61, 64 से 71, 73 से 81, 83 एवं 84 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 62, 63, 72 एवं 82 अनागत हुए।

सदन में यथावत् नारेबाजी जारी रही। इसपर आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने माननीय सदस्यों से कहा कि मेरी अपील का कोई असर नहीं पड़ा, इसका मुझे अफसोस है।

6. औपचारिक कार्य

1. विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 205 (ग) (1) के अनुसरण में बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 29 नवंबर, 2018 की बैठक में यथापारित **बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018** की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. श्री केदार नाथ पाण्डेय, अध्यक्ष, निवेदन समिति द्वारा निवेदन समिति के 100वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

7. परिनियत कार्य

1. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रुझान पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

इस बीच सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन को 2.00 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार एवं डा. रामचन्द्र पूर्वे ने अपने कार्यस्थगन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, कृपया बैठें, ध्यानाकर्षण होना है, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

8. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, डा० संजीव कुमार सिंह द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद ने वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार राजद के माननीय सदस्यों सहित नारेबाजी करते हुए सदन वेश्म में चले आये तथा पोस्टर दिखाने लगे। जबकि माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे अपने स्थान से खड़े होकर बोलने लगे। कांग्रेस के माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर खड़े रहे। सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने विपक्ष के आरोप पर प्रत्यारोप लगाना शुरू किया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि ध्यानाकर्षण का जवाब सरकार दे रही है, जवाब होने दीजिए परंतु यथावत् नारेबाजी जारी रही।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आज 30.11.2018 की कार्यसूची में अंकित सभी ध्यानाकर्षण, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को विचारार्थ सुपुर्द किया जाता है।

इस बीच सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

परिनियत कार्य

2. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

9. वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018

माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 एक साथ लिए जाएं, जिसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

10. वित्तीय विधेयक

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 पर विचार हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 पारित हो।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से
उठकर बाहर चले गये।)

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने वक्तव्य दिया।

(तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वापस सदन में चले आये और आरोप लगाने लगे जिसके प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण भी जोर-जोर से बोलने लगे जबकि कांग्रेस के माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े रहे।)

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने आदेश देने की कृपा की कि कृपया बैठिये, बैठ जाइये।

11. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. डा. संजीव कुमार सिंह
2. श्री नीरज कुमार
3. श्री शिव प्रसन्न यादव
4. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता
5. प्रो. रामवचन राय
6. श्री केदारनाथ पाण्डेय
7. श्री कृष्ण कुमार सिंह
8. श्री मनोज यादव
9. श्री सतीश कुमार
10. श्री वीरेन्द्र नारायण यादव
11. श्री राधाचरण साह

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

12. आसन की सूचना एवं समापन भाषण

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय नेता, सत्तारूढ़ दल, मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यगण, माननीया नेता, विरोधी दल, माननीय सभी सचेतकगण, विभिन्न दलों के माननीय नेतागण, बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण,

कुछ ही क्षणों में बिहार विधान परिषद् के 190वां शीतकालीन सत्र का समापन हो रहा है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित हुईं। सत्र के दौरान प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल एवं निवेदन के माध्यम से लोकहित के कई महत्वपूर्ण मामले सदन में लाए गए।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने अपने संसदीय सरोकारों को दर्शाते हुए जन समस्याओं से जुड़े प्रश्नों के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई।

इस सत्र के लिए कुल 282 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, उनमें से कुल 258 प्रश्नों को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा कुल 74 प्रश्न उत्तरित हुए। इसमें जो सदन पटल पर रखे गये हैं, वे भी हैं। 190वें सत्र के लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने हेतु सरकार से अनुशंसा करता हूं।

इस सत्र के लिए कुल 54 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, 35 सूचनाओं को स्वीकृति प्रदान कर सदन के कार्यक्रम पर लाया गया। जिसमें से 3 सूचनाएं उत्तरित हुईं। 2 सूचनाएं व्यपगत हुईं तथा 30 सूचनाओं को नियमन के आलोक में प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंपा गया।

शून्यकाल की कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 14 सूचनाओं को स्वीकृत किया गया। सभी स्वीकृत सूचनाएं व्यपगत हुईं।

कुल 41 निवेदनों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 12 निवेदन व्यपगत हुए तथा 29 निवेदनों को निवेदन समिति को विचारार्थ सुपुर्द किया गया।

इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-2019 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर हुआ। कई विधायी एवं वित्तीय कार्यों के सफलतापूर्वक निष्पादन के साथ-साथ, निम्न महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए :

1. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
2. औद्यागिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018
3. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018

मैं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रिगण एवं माननीया नेता, विरोधी दल का आभारी हूं क्योंकि इन्होंने अपने दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया। मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन की कार्यवाही को प्रकाशित और प्रसारित करते हुए जन सामान्य से हमारे रिश्ते को प्रगाढ़ करने की जिम्मेदारी निभाई है।

मैं बिहार विधान परिषद् के सचिव एवं परिषद् सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से संसदीय कार्यों के संचालन में मेरा भरपूर सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई ।

30/11/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 1791(3) / वि.प. पटना, दिनांक 30.11.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
30-11-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।